

Ref: GJEPC/Circular/2021-22/

Date: 10<sup>th</sup> April 2021

To,

**All the Members of Council,**

Dear Sir/Madam,

**Subject: Submission of Export Returns Quarterly in accordance to para 2.96 of Handbook of Procedures of Foreign Trade Policy 2015-20 by all members exporters**

This is w.r.t para 2.96(b) of Handbook of Procedures of Foreign Trade Policy 2015-20, whereby exporters are required to furnish quarterly return /details of their exports of commodities to the concerned registering authority.

Accordingly, the GJEPC has been regularly asking its members to submit quarterly returns of the exports. However, It has been noted that many of the members are not furnishing such details and hence, technically are not complying with the RCMC norms as stipulated by the Government.

Based on the above observations, the GJEPC has devised an online mechanism to furnish the requisite Exports details quarterly by all GJEPC Member Exporters.

**Steps for online submission of quarterly returns of Exports are as follows.**

1. Visit <https://gjepec.org/login.php>
2. Log in the Member Dashboard
3. Click on the "Export/Import Quarterly Returns"
4. Then click on the "Submission Form"
5. You will see instructions for submitting the form.
6. Select the Quarter Year
7. Select "Yes" if exported in current quarter; otherwise select "No". Please note that after selecting "No"; you will be directed to submit the form.
8. If you select yes, the HS Code of the export/import commodities and the commodity description will come automatically.
9. You can select more than one Country of exports/imports.
10. Enter the value of "Exports (FOB)" / "Imports (CIF)" either in USD/Euro
11. a). Enter the Carat (Diamonds & Lab Grown Diamonds & Synthetic Stones),  
b). Enter the Carat (Precious Stone)  
c). Enter the Carat (Semi Precious stone)  
d). Enter the Grams (Pearls, gold & Silver)
12. Mention suggestions/issues in Remarks box.
13. Click on Agree Terms & Condition
14. Click on "save as draft" if want to edit later or on "submit" to submit it immediately.

Other Instructions

**In case members have NIL exports, this is mandatory to file the return and in such cases Steps from 1-7, 13 and 14 would be applicable.**

**You are informed that window for furnishing the export returns for Q4 (January-March) of the Financial Year 2020-21 is open till 30th June 2021, Wednesday, 5:30 pm.**

- Please note we have added revised HS Codes for Precious and Semi-Precious Stones Product Category.
- For Sales to Foreign Tourist you may select the following 8-digit Code
- Sales to Foreign Tourist Code – 71000000 (This is not a HS code, for the ease of members to enter the value for the said category a simple code of 8 digit is added in the list).

***This is mandatory to submit the quarterly returns, in case of non-filing of returns regularly your RCMC is liable to get cancelled / suspended.***

For submitting any query:

Visit GJEPC helpdesk at [gjepcindia.com](http://gjepcindia.com)

1. Fill your details
2. Select
  - Region
  - Statistics Dept
  - Export /Import Quarterly Return

If there are any queries you may please call at : 1800-103-4353

Sr. No. Region Name Email ID

- 1 Mumbai Region Cyril Alfred, [cyril@gjepcindia.com](mailto:cyril@gjepcindia.com)
- 2 Delhi Region Prashant Bhatt, [prashantbhatt@gjepcindia.com](mailto:prashantbhatt@gjepcindia.com)
- 3 Jaipur Region E.K. Sasi Kumar, [sasi@gjepcindia.com](mailto:sasi@gjepcindia.com)
- 4 Kolkata Region A. Salim [salim@gjepcindia.com](mailto:salim@gjepcindia.com)
- 5 Surat Region Kishan Detroj [kishan.detroja@gjepcindia.com](mailto:kishan.detroja@gjepcindia.com)
- 6 Southern Region Bhanu Prasad, [bhanu.prasad@gjepcindia.com](mailto:bhanu.prasad@gjepcindia.com)

With regards,

Yours faithfully,

**Sd/-**

Sabyasachi Ray  
Executive Director

परिषद के सभी सदस्यों के लिए,

महोदय,

विषय- विदेश व्यापार नीति 2015-20 की हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर के पैरा 2.96 के आधार पर प्रत्येक तिमाही निर्यात/ आयात रिटर्न जमा करने के बाबत।

यह विदेश व्यापार नीति 2015-20 की हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर के पैरा 2.96(b) के संदर्भ में है, जिसके तहत सभी निर्यातकों को प्रत्येक तिमाही अपने निर्यात रिटर्न/ विवरण, संबंधित पंजीकरण अथॉरिटी को प्रस्तुत(जमा) करना आवश्यक है।

जिसके लिए, जीजेईपीसी नियमित रूप से सदस्यों को प्रत्येक तिमाही निर्यात रिटर्न जमा करने के लिए आग्रह कर रहा है। लेकिन यह नोट किया गया है कि कई सदस्य निर्यात रिटर्न का विवरण प्रस्तुत नहीं कर तकनीकी रूप से सरकार द्वारा निर्धारित आरसीएमसी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

उपरोक्त अवलोकन (ऑब्ज़र्वेशन) के आधार पर, जीजेईपीसी ने प्रत्येक तिमाही आयात/ निर्यात की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु अपने सदस्यों के लिए ऑनलाइन मैकेनिज्म तैयार किया है

प्रत्येक तिमाही ऑनलाइन निर्यात / आयात रिटर्न जमा करनेके स्टेपस इस प्रकार हैं -

1. <https://gjepc.org/login.php> पर जाएं।
2. मेंबर डैश बोर्ड पर लॉग इन करें।
3. एक्सपोर्ट/ इम्पोर्ट क्वार्टरली रिटर्न पर क्लिक करें।
4. उसके बाद 'सबमिशन फॉर्म' पर क्लिक करें।
5. उसके बाद आप फॉर्म जमा करने से संबंधित निर्देश देख पाएंगे।
6. क्वार्टर वर्ष का चयन करें।
7. यदि वर्तमान तिमाही में निर्यात किया गया है तो हाँ का चयन करें, वरना ना का चयन करें। कृपा ध्यान दें कि ना का चयन करने के बाद, आपको फॉर्म जमा करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे।
8. यदि आपके द्वारा हाँ का चयन किया जाता है तो, एक्सपोर्ट/ इम्पोर्ट के HS कोड का विवरण अपने आप आजाएगा।
9. आप एक्सपोर्ट/ इम्पोर्ट के लिए एक से ज्यादा देश का चयन कर सकते हैं।
10. ग्रॉस एक्सपोर्ट/ इम्पोर्ट का वैल्यू डाले, यूएसडी या यूरो में।
11. (a) कैरेट डाले (डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड व सिंथेटिक स्टोन) (b) कैरेट डाले (प्रीसियस स्टोन) (c) कैरेट डाले (सेमी प्रीसियस स्टोन) (d) ग्राम डालें (मोती, गोल्ड व सिल्वर)
12. आपके सुझाव या किसी भी समस्या को रिमार्क्स बॉक्स में लिखें।
13. टर्म्स एंड कंडीशन पर सहमत बटन पर क्लिक करें।
14. सेव ड्राफ्ट करें, यदि बाद में आपको एडिट करना हो तो या फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।

अन्य निर्देश

यदि सदस्यों द्वारा कोई निर्यात नहीं किया गया है, फिर भी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है और ऐसे मामलों में ऊपर बताए गए 1-7, 13 और 14 से चरणों का पालन करना होगा।

वित्त वर्ष 2020-21 के चौथा तिमाहा (जनवरी - मार्च) के लिए 30 जून 2021 बुधवार, शाम 5.30 बजे तक या उससे पहले आंकड़े जमा करें।

कृपया ध्यान दें कि हमने कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों के उत्पाद श्रेणी के लिए संशोधित HS कोड जोड़े हैं

विदेशी पर्यटकों को बिक्री के लिए आप निम्नलिखित 8 अंकों का कोड चुन सकते हैं

विदेशी पर्यटक कोड की बिक्री - 71000000 (यह एचएस कोड नहीं है, सदस्यों की आसानी के लिए उक्त श्रेणी के लिए मूल्य दर्ज करने के लिए 8 अंकों का एक सरल कोड सूची में जोड़ा गया है)।

त्रैमासिक रिटर्न जमा करना अनिवार्य है, नियमित रूप से रिटर्न दाखिल न करने की स्थिति में आपका RCMC रद्द / निलंबित होने के लिए उत्तरदायी है।

किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए

[www.Gjepcindia.com](http://www.Gjepcindia.com) पर GJEPC हेल्पडेस्क पर जाएं

1. अपना विवरण भरें

2. चुनें

• क्षेत्र

• सांख्यिकी विभाग

• निर्यात / आयात त्रैमासिक रिटर्न

इस विषय पर किसी भी तरह की जानकारी हेतु - आप हमारे कॉल सेंटर 1800-103-4353 पर संपर्क कर सकते हैं।

और

नीचे दिए गए ईमेल आयडी पर संपर्क करें -

1. मुंबई क्षेत्र - सिरिल अल्फ्रेड, [cyril@gjepcindia.com](mailto:cyril@gjepcindia.com)
2. दिल्ली क्षेत्र - प्रशांत भट्ट, [prashantbhatt@gjepcindia.com](mailto:prashantbhatt@gjepcindia.com)
3. जयपुर क्षेत्र - ई.के. ससी कुमार, [sasi@gjepcindia.com](mailto:sasi@gjepcindia.com)
4. कोलकाता क्षेत्र - ए.सलीम, [salim@gjepcindia.com](mailto:salim@gjepcindia.com)
5. सुरत क्षेत्र - किशन D, [kishan.detroja@gjepcindia.com](mailto:kishan.detroja@gjepcindia.com)
6. दक्षिणी क्षेत्र - भानु प्रसाद, [bhanu.prasad@gjepcindia.com](mailto:bhanu.prasad@gjepcindia.com)

धन्यवाद सहित,

सादर

हस्ता-

सभ्यासाची राय

कार्यकारी निदेशक